राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 420/2004

कर्ण सिंह खंगारोत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2004
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक लीनो ऑपरेटर के पद पर हुई थी। उसके पश्चात् दिनांक 09.07.1992 से जनरल फॉरमेन के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 06.03.1999 (अनुलग्नक–1) द्वारा द्वारा सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे आदेश दिनांक 05.07.2000 (अनुलग्नक–4) द्वारा उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.09.2001 (अनुलग्नक–5) द्वारा अधीक्षक के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.04.2004 (अनुलग्नक–6) द्वारा अधीक्षक के पद से पदावन्नत कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह आधा बताया गया है कि अपीलार्थी के अस्थाई सेवावधि को बढाया जाना अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण उचित नहीं है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिए हुए भेदभावपूर्ण तरीके से पदावन्नत किया गया है, जबकि उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को उच्च पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत कर रखा है।

अपीलार्थी ने उक्त अपील में संशोधन चाहने हेतु प्रार्थना पत्र मय संशोधन अपील प्रस्तुत की, जिसका जवाब विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने अपील को संशोधित करते हुए दिनांक 19.03.2005 (अनुलग्नक–8) प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान राज्य मुद्रालय सेवा नियम, 1960 के नियम 25 (2) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.03.2005 की सिफारिश पर वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित रूप से अधीक्षक के पद पर वेतन श्रृंखला 6500–10500 में पदोन्नति किया गया। अपीलार्थी ने संशोधित अपील में पूर्व में चाहे

गये अनुतोष में यह अनुतोष जोड़ा कि उसे अधीक्षक के पद पर दिनांक 01.09.2001 से अनुलग्नक–5 के द्वारा जो पदोन्नति दी गई है। उस दिनांक से नियमित पदोन्नति दिनांक 19.03.2005 तक का अधीक्षक पद का वेतन दिलाया जाये क्योंकि अपीलार्थी ने उक्त पद का कार्य विभागीय आदेशानुसार किया है। अपीलार्थी का कथन है कि अस्थाई पदोन्नति पर वैसे भी वेतन देय होता है, जो नियमित पदोन्नति पर दिया जाता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6547/2011 विजय कुमार डामोर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में न्याय निर्णय दिनांक 19.09.2012 प्रस्तुत की, जिसमें स्वयं के वेतनमान में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को भी उच्च पद का वेतनमान दिलाया गया है, जिस पर वह कार्य कर रहा है। अपीलार्थी को तो विभाग द्वारा ही उच्च पद अस्थाई रूप से पदोन्नति किया गया था इसलिए वह जिस पद पर कार्य किया है उस पद का वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपीलाार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 01.09.2001 से अधीक्षक पद का वेतनमान उसकी नियमित पदोन्नति दिनांक 19.03.2005 तक मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीक्षक पद पर अवश्य लगाया गया था लेकिन उक्त पद का वेतन दिए जाने का कोई भी उल्लेख पदोन्नति आदेश में नहीं था। अपीलार्थी ने 19 वर्ष पश्चात् अपनी अपील में संशोधन करते हुए वेतन की मांग की है, जो विलम्ब के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थी को छः माह के लिए अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया था, जिसे बाद में बढाया गया और आदेश दिनांक 23.04.2004 (अनुलग्नक–6) के द्वारा उचित रूप से पदावन्नत कर दिया, जिसमें कोई दुभार्वना नहीं है। पदावन्नत करने का मुख्य कारण यह था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपीलार्थी की सेवावधि में वृद्धि स्वीकार नहीं की। अपीलार्थी को अस्थायी तौर पर अधीक्षक के पद पर दिनांक 01.09.2001 से 01.03.2003 तक अधीक्षक पद का वेतनमान प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि दिनांक 01.09.2001 को जारी आदेश की शर्त संख्या 5 में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया था कि तदर्थ पदोन्नति के रूप में अर्जित किया गया अनुभव भविष्य में उस पद पर पदोन्नति हेतु नहीं माना जायेगा। इस प्रकार अपीलार्थी अस्थायी अवधि के दौरान धारित अधीक्षक के पद के वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.09.2001 द्वारा अधीक्षक के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.04.2004 द्वारा अधीक्षक के पद से पदावन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिए हुए भेदभावपूर्ण तरीके से पदावन्नत किया गया है, जबकि उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को उच्च पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत कर रखा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को छः माह के लिए अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया था, जिसे बाद में बढाया गया और आदेश दिनांक 23.04.2004 द्वारा उचित रूप से पदावन्नत कर दिया, जिसमें कोई दुभार्वना नहीं है। अपीलार्थी ने 19 वर्ष पश्चात् अपनी अपील में संशोधन करते हुए विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 01.09.2001 से नियमित पदोन्नति दिनांक 19.03.2005 तक अस्थाई रूप से अधीक्षक के पद का कार्य किया है लेकिन उसे उस पद का वेतन नहीं दिया गया है, जो कि नियमानुसार दिया जाना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उस पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को उसकी अस्थाई पदोन्नति दिनांक 01.09.2001 से नियमित पदोन्नति दिनांक तक अधीक्षक पद का वेतन दिया जावे। अपीलार्थी उक्त एरियर राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह में सम्पादित की जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य